रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आषाढ़ 31, 1935
No. 197] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASADHA 31, 1935

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013
(2013 का 9)

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

सं0 116–4/2013–एनएसएल–2.— भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) के उप–खंड (i), (iii) और (v) के साथ पठित धारा 36 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत्:–

1 (1) इन विनियमों को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (पांचवां संशोधन) विनियम, 2013 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम, इनके सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 90 दिन पश्चात् लागू होंगे।

2 दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) के विनियम 2, (जिसे आगे मूल विनियम कहा गया है) में ––

(क) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्:–

''(खक) ''अधिकृत हस्ताक्षरी'' से आशय ऐसे व्यक्ति, जिसे निगमित निकाय, फर्म या किसी संगठन या निकाय द्वारा उस निगमित निकाय, फर्म, या संगठन या निकाय को आवंटित कॉर्पोरेट मोबाइल फोन नंबरों की पोर्टिंग करने हेतु लिखित अनुरोध करने के लिए अधिकृत किया गया हो, से है'' ;

(ख) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्:–

''(गक) ''कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर'' से आशय निगमित निकाय, फर्म या किसी संगठन या निकाय को आवंटित मोबाइल नंबर, से है ''।

3. मूल विनियमों के विनियम 5 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत् :–

'' बशर्ते कि एक्सेस प्रदाता द्वारा......

(क) अपने उपभोक्ता डाटाबेस में उपलब्ध सभी कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की पहचान करके, एक अलग पहचान कोड आवंटित किया जाएगा, और

(ख) एक ही साथ एक से अधिक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग के अनुरोध की स्थिति में, प्रत्येक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर को एक पृथक यूनिक पोर्टिंग कोड आवंटित करेगा । ''

4. मूल विनियमों के विनियम 6 में, खंड (ङ) में पहले परन्तुक के बाद तथा दूसरे परन्तुक से पहले, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत् :–

''(च) किसी भी कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर को तब तक पोर्ट नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे नंबर की पोर्टिंग अनुरोध के साथ, इन विनियमों में संलग्न प्रपत्र पर उपभोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र संलग्न हो **;**

(छ) कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग अनुरोध की स्थिति में, एक साथ पचास से अधिक मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग नहीं मांगी जाएगी**;**

(ज) यदि एक से अधिक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के लिए पोर्टिंग अनुरोध किया जाता है तो, इस प्रकार के नंबर, एक ही दाता (डोनर) प्रचालक के होने चाहिए । ''

5. मूल विनियमों के विनियम 7 में...

(क) उप–विनियम (3) में,...

(1) खंड (क) में अंत में ''और '' शब्द को लोप किया जाएगा**;**

(2) खंड (ख) में अंत में ''और '' शब्द को अंतःस्थापित किया जाएगा**;**

(3) खंड (ख) में बाद में, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत् :–

''(ग) कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की स्थिति में, ऐसी पोर्टिंग की अनुमति के लिए उपभोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र''**;**

(ख) उप–विनियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

'' (4) उपभोक्ता द्वारा प्रत्येक उस मोबाइल नंबर, जिसकी पोर्टिंग करवानी हो, के लिए अपने पोर्टिंग अनुरोध के साथ पोर्टिंग प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान किया जाएगा।''

6. मूल विनियमों के विनियम 8 में...

(क) उप–विनियम (6) में परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः–

''बशर्तें कि कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की स्थिति में, प्राप्तकर्ता प्रचालक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को ऐसे मोबाइल नंबर की पोर्टिंग हेतु अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रतिलिपि भी भेजेगा :

बशर्तें आगे यह कि कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के लिए, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को मोबाइल नंबर इत्यादि भेजने की समयावधि, पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने से अड़तालीस घंटे होगीः

बशर्तें आगे यह भी कि उप–विनियम (6) में गणना के लिए विनिर्दिष्ट चौबीस घंटे की अवधि तथा द्वितीय परन्तुक में विनिर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि में, रविवार एवं परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) के अंतर्गत घोषित सार्वजनिक छुट्टियां शामिल नहीं होंगी :

बशर्तें यह भी कि उप–विनियम (6) के उद्देश्य के लिए कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की स्थिति में, एक से अधिक मोबाइल नंबर की पोर्टिंग की अनुमति देने वाले प्राधिकार पत्र की एक प्रति ही पर्याप्त होगी।'';

(ख) उप–विनियम (7) के लिए, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत्:–

''(7) प्राप्तकर्ता प्रचालक, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को भेजे गए प्रत्येक मोबाइल नंबर के लिए, प्रति पोर्ट लेन–देन प्रभार का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा । ''

7. मूल विनियमों के विनियम 9 के उप–विनियम (4) में ''ऐसी पोर्टिंग के लिए दाता प्रचालक की मंजूरी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ, ऐसे अनुरोध के विवरणों को'' शब्दों को '' पोर्टिंग के लिए ऐसे अनुरोध के विवरणों के साथ कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की स्थिति में प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रतिलिपि को दाता प्रचालक'' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

8. मूल विनियमों के विनियम 12 में'',

(क) खंड (ज) के पश्चात् तथा परन्तुक से पहले, निम्नलिखित खंडों को अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत्:–

''(झ) कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की स्थिति में, पोर्टिंग अनुरोध के साथ उपभोक्ता के अधिकृत हस्ताक्षरी से प्राधिकार पत्र संलग्न न होने पर;

(ञ) दाता प्रचालक द्वारा प्राप्ति से पूर्व, यूनिक पोर्टिंग कोड की वैधता अवधि का समाप्त होना ।

(ख) विद्यमान परन्तुक के लिए, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत् :–

''बशर्तें कि खंड (क) से (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करते समय, प्रत्येक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर को पृथक माना जाएगा :

बशर्तें आगे यह भी कि यदि दाता प्रचालक द्वारा खंड (ज) एवं (झ) विनिर्दिष्ट किसी आधार पर पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार किया जाता है तो, उसे द्वारा पोर्टिंग अनुरोध अस्वीकार किए जाने के कारणों का पूर्ण विवरण बताना होगा तथा इस प्रकार के रिकॉर्डों की प्रतिलिपि को न्यूनतम छह माह के लिए भी रखना होगा। ''

9. मूल विनियमों के विनियम 16 में उप–विनियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप–विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, नामत् :–

''(8) विनियम 12 के खंड (झ) में विनिर्दिष्ट आधार पर कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रतिलिपि न्यूनतम छह माह रखनी होगी ।''

कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग के लिए प्राधिकार पत्र का प्रपत्र

(विनियम 6 (एफ) देखें)

(कंपनी लेटरहेड पर प्रस्तुत करना होगा)

सेवा में,
(प्राप्तकर्ता प्रचालक)
....
....

विषय :–**<u>कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की पोर्टिंग ।</u>**

मैं ...., मैसर्स .... (निगमित निकाय आदि का नाम) एतदद्वारा मैसर्स .... (निगमित निकाय आदि का नाम) को आवंटित निम्नलिखित मोबाइल नंबरों को मैसर्स .... (दाता प्रचालक का नाम) से .... (सेवा क्षेत्र का नाम) में मैसर्स ....(प्राप्तकर्ता प्रचालक का नाम) को पोर्ट करने हेतु अधिकृत करता हूं :–

क्रम संख्या	कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर	यूनिक पोर्टिंग कोर्ड

वचनवद्धता

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं, उपर्युक्त मोबाइल नंबरों के लिए अधिकृत हस्ताक्षरी हूं तथा इस जानकारी को दाता प्रचालक के साथ अद्यतन किया गया है।

कंपनी कंपनी का नाम :

कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी का नाम :

कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी का संपर्क नंबर :

कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर :

कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरी का ईमेल आईडी :

कंपनी/कॉर्पोरेट/संगठन की मुहर :

दिनांक :

टिप्पणी : यदि इस पत्र में एक से अधिक पृष्ठ हों तो, प्रत्येक पृष्ठ पर अधिकृत हस्ताक्षरी, हस्ताक्षर करेगा ।

....

राजीव अग्रवाल,सचिव

[विज्ञापन– III /4/असाधारण/142/13]

टिप्पणी 1: मूल विनियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–III, खंड 4 में दिनांक 23 सितम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 116–4/2009–एमएन(खंड–II) के माध्यम से प्रकाशित किया गया एवं निम्न के द्वारा संशोधित किया गया हैः–

(क) अधिसूचना संख्याः 116–1/2010 दिनांक 28 जनवरी,2010 (2010 का 1)

(ख) अधिसूचना संख्याः 116–1/2010 दिनांक 24 नवम्बर,2010 (2010 का 5)

(ग) अधिसूचना संख्याः 116–5/2012 दिनांक 08 जून,2012 (2012 का 16)

(घ) अधिसूचना संख्याः 116–15/2012 दिनांक 19 सितंबर,2012(2012 का 19)

टिप्पणी 2: व्याख्यात्मक ज्ञापन, इन विनियमों के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने देश में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की मूलभूत व्यापारिक प्रक्रिया के तंत्र के क्रियान्वयन को निर्धारित करते हुए, 23 सितंबर, 2009 को दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी विनियम, 2009 (2009 का 8) जारी किया। इन विनियमों के विनियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 , प्राधिकरण के दिनांक 18 जनवरी, 2011 के निदेश के माध्यम से 20 जनवरी, 2011 को देशभर में लागू हुए।

2. कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के उपभोक्ताओं से यह शिकायतें प्राप्त हुई कि ऐसे नंबरों को पोर्ट करने के अनुरोधों को कंपनी/कॉर्पोरेट से अनुमति/अधिकृत अनुमति की अपेक्षा में ''संविदागत बाध्यता'' श्रेणी के तहत, दाता प्रचालक द्वारा अस्वीकार किया गया है।

3. कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों से पोर्टिंग अनुरोध को संसाधित करने संबंधी मुद्दे का समाधान करने के लिए, भादूविप्रा ने दिनांक 02 अप्रैल, 2013 तक हितधारकों से टिप्पणियां मांगते हुए, 19 मार्च, 2013 को भादूविप्रा की वेबसाइट पर दूरसंचार मोबाइल नम्बर पोर्टेबिलिटी (पांचवां संशोधन)

विनियम,2013 का मसौदा अपलोड किया गया। मसौदा संशोधन में कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की पोर्टिंग हेतु एक पृथक प्रक्रिया को विनिर्दिष्ट किया गया, चूंकि इसके लिए कॉर्पोरेट या संगठन के संबंधित अधिकृत हस्ताक्षरी से प्राधिकार पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होता है । कुछ हितधारकों के अनुरोध पर टिप्पणियां आमंत्रित करने की तिथि को बढ़ाकर 09 अप्रैल, 2013 किया गया ।

4. प्राधिकरण ने हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों की जांच की, मुख्य मुद्दे तथा उनका विश्लेषण नीचे किया जा रहा है :–

क्रियान्वयन हेतु समय–सीमा

5. अधिकांश हितधारकों द्वारा कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की पोर्टिंग हेतु नई प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए 30 दिन से 03 माह तक समय मांगा गया। कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की पहचान, कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों हेतु इन विनियमों में विनिर्दिष्ट यूपीसी सृजन तंत्र की स्थापना करने, कॉर्पोरेट एमएनपी प्रक्रिया तथा जांच हेतु मौजूदा गेटवे में अपेक्षित बदलावों के लिए अपेक्षित समय को ध्यान में रखते हुए, यह महसूस किया गया कि सेवा प्रदाता तथा एमएनपी सेवा प्रदाताओं को उनकी प्रणाली में अपेक्षित बदलाव करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। तद्नुसार, आधिकारिक राजपत्र में, इनके प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के बाद इन संशोधनों को प्रभावी बनाया गया है ।

अधिकृत हस्ताक्षरी के पत्र की आवश्यकता

6. वर्तमान में, व्यक्तिगत नंबरों की पोर्टिंग हेतु उपभोक्ता की पुष्टि यूनिक पोर्टिंग कोड तंत्र के माध्यम से की जाती है । एक हितधारक ने यह सुझाव दिया है कि कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं को दाता प्रचालक से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मंगवाना चाहिए। इस संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि मौजूदा पोर्टिंग प्रक्रिया, प्राप्तकर्ता प्रचालक आधारित पोर्टिंग प्रक्रिया है, वैसे उपभोक्ता किसी मोबाइल नंबर की पोर्टिंग के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक को आवेदन करता है । दाता प्रचालक से अनापत्ति प्रमाण पत्र ,मौजूदा तंत्र के सिद्धातों के विरूद्ध होगा। इसलिए, यह स्वीकार्य नहीं है । तथापि, पोर्टिंग की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी के पत्र की एक प्रति को अन्य अपेक्षित विवरण के साथ दाता प्रचालक को भेजा जाएगा ।

किसी कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध में मोबाइल नंबरों की संख्या को सीमित करना

7. इस मुद्दे पर कि क्या कॉर्पोरेट मोबाइलों की अधिकतम संख्या, जिन्हे एक पोर्टिंग अनुरोध में शामिल किया जा सकता है, को सीमित किया जाना चाहिए, के संबंध में एक सुझाव, यह भी है कि अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा पोर्टिंग अनुरोध में कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर की अधिकतम संख्या को सीमित किया जाए। इस मुद्दे की जांच की गई है तथा किसी कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध में 50 मोबाइल नंबरों को सीमित करने को विहित किया गया है ताकि प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा बड़ी संख्या में यूपीसी वाले मोबाइल नंबरों की प्रविष्टि में त्रुटियों की संभावना को कम किया जा सके, वहीं अधिकृत हस्ताक्षरी के अनुरोध पर पर्याप्त संख्या में नंबरों को संसाधित किया जा सके।

पोर्टिंग किए जाने हेतु अपेक्षित कॉर्पोरेट नंबरों के लिए पृथक यूपीसी की आवश्यकता

8. इस मुद्दे पर कि क्या प्रत्येक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के लिए एक पृथक यूपीसी होना चाहिए अथवा क्या एक यूपीसी सभी कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के लिए पर्याप्त होगा, में कुछ हितधारकों ने यह सुझाव दिया है कि अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा सृजित किए गए सभी अनुरोधित कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के लिए एक यूपीसी होना चाहिए, जबकि उनमे से कुछ ने यह सुझाव दिया कि प्रत्येक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर को अपने मोबाइल नंबर को पोर्ट करने के लिए एक पृथक यूपीसी सृजित करना चाहिए ।

9. वर्तमान व्यवस्था में किसी मोबाइल नंबर, जिसे पोर्ट किया जाना हो, के लिए यूपीसी सृजन के अनुरोध को उसी मोबाइल नंबर से भेजा जाना चाहिए। अगर किसी अधिकृत हस्ताक्षरी के मोबाइल नंबर को यूपीसी की अनुमति प्रदान की जाए तो, संपूर्ण तंत्र को बदलना होगा, जिसकी कोई उपयोगिता भी नहीं होगी । तथापि, दाता प्रचालकों के प्रमाणीकरण हेतु अधिकृत हस्ताक्षरियों की एक पृथक सूची का अनुरक्षण करने की आवश्यकता है । ऐसी व्यवस्था में जटिलताओं के मद्देनजर, इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि प्रत्येक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के उपयोगकर्ता द्वारा यूपीसी का सृजन किया जाए ताकि कॉर्पोरेट नंबर की पोर्टिंग के संबंध में टकराव/विवाद से बचा जा सके और साथ ही साथ इस बात से भी बचा जा सके कि नंबर को बिना उपयोगकर्ता की जानकारी के पोर्ट किया गया है । अतः ऐसे उपबंध किए गए हैं, जिनमें अधिकृत हस्ताक्षरी निर्धारित प्रपत्र में अपने हस्ताक्षर कर, ऐसे नंबर भेजेगा ।

<u>प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रति को संलग्न करने संबंधी अपेक्षा</u>

10. विनियमों में, प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा दाता प्रचालक को कंपनी/संगठन के अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा पत्र की स्कैन प्रति भेजने संबंधी उपबंध किया गया है । कुछ दूरसंचार सेवा प्रदाताओं ने यह सूचित किया है कि स्कैन प्रतियों को भेजने के लिए, उनकी उपभोक्ता प्रबंधन प्रणाली (सीआरएम) प्रणाली में अतिरिक्त हार्डवेयर अवसरंचना की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी इंगित किया है कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाताओं के साथ मौजूदा संपर्क को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रति को भेजने के लिए अपेक्षित बैंडविड्थ की व्यवस्था की जा सके । इस संबंध में, यह नोट किया जा सकता है कि कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों की संख्या अधिक नहीं होगी। साथ ही 50 मोबाइल नंबरों तक कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर पोर्ट करने के लिए केवल एक स्कैन किए गए दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है तथा कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोधों को कंपनी के स्वामित्व वाले उपभोक्ता केन्द्रों में संसाधित किया जा सकता है, जहां सामान्यतः ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध न हो तो, पोर्टिंग के अनुरोध करने वाले कॉर्पोरेट उपभोक्ताओं को अपेक्षित प्राधिकार पत्र की स्कैन प्रति उपलब्ध कराने को कहा जा सकता है। स्कैन किया गया दस्तावेज पीडीएफ रूप में होगा, जिसके लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं तथा एमएनपी सेवा प्रदाताओं के बीच विस्तृत बैंडविड्थ की आवश्यकता नहीं होगी। वैसे भी, प्रस्तावित प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए भारी निवेश किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

11. हितधारकों ने यह भी इंगित किया है कि यह एक हस्तगत क्रियाकलाप है, जिसमें दस्तावेज को स्कैन कर, संलग्न करके भेजा जाना होता है, प्राप्तकर्ता प्रचालकों को इसे संसाधित करने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। इस पर विचार करते हुए, यह निर्णय लिया गया कि प्राप्तकर्ता प्रचालक द्वारा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा प्रदाता को कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध भेजने के लिए मौजूदा 24 घंटे की समय–सीमा को बढ़ाकर 48 घंटे किया जाए। इस संबंध में, यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि दाता प्रचालक से यह आशा की जाती है कि वह एमएनपी सेवा प्रदाता से पोर्टिंग अनुरोध प्राप्त होने के चौथे कार्य दिवस पर पोर्टिंग अनुरोध को स्वीकार करें ।

<u>दाता प्रचालक द्वारा पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार किया जाना</u>

12. दूरसंचार प्रचालकों ने प्राधिकार पत्र के अवैध होने के कारण, कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार होने की पृथक अस्वीकार श्रेणी की व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया है ताकि अधिकृत हस्ताक्षरी को अस्वीकार किए जाने का सटीक कारण ज्ञात हो । तद्नुसार, कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध को अस्वीकार करने की एक पृथक श्रेणी को जोड़ा गया है ।

13. उपर्युक्त के साथ ही साथ अस्वीकृति के कारणों की एक और श्रेणी अर्थात् ''दाता प्रचालक द्वारा प्राप्ति पूर्व यूनिक पोर्टिंग कोड की वैधता अवधि समाप्त हो गई है'' को जोड़ा गया है। इसके पीछे यह मत है कि अस्वीकार किए जाने के कारणों का विश्लेषण करने पर यह देखा गया है कि अनेक पोर्टिंग अनुरोध 'यूपीसी बेमेलता' के कारण अस्वीकार किए जा रहे हैं । आगे विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि यूपीसी बेमेलता के कारण अधिकांश अस्वीकृतियां वास्तव में यूपीसी की वैधता अवधि की समाप्ति के कारण हुई थी। 'यूपीसी बेमेलता' तथा 'यूपीसी समाप्ति' के बीच स्पष्टता के लिए अस्वीकार के एक नए कारण को जोड़ा गया है ।

<u>कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए दाता प्रचालक को अतिरिक्त समय दिया जाना</u>

14. कुछ हितधारकों ने किसी कॉर्पोरेट मोबाइल नंबर के पोर्टिंग अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के लिए दाता प्रचालक हेतु वैधता अवधि को मौजूदा चार कार्य दिवसों से बढ़ाकर सात कार्य दिवस किए जाने की मांग की है। इस संबंध में, यह महसूस किया गया है कि दाता प्रचालक द्वारा किसी कॉर्पोरेट पोर्टिंग अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार किए जाने के संबंध में मौजूदा विनियमों में विनिर्दिष्ट चार कार्य दिवस की समयावधि पर्याप्त है। चूंकि हस्तगत जांच अधिकांशतः अधिकृत हस्ताक्षरी से संबंधित होती है, जो कि पचास मोबाइल नंबरों तक पोर्ट किए गए सभी कॉर्पोरेट मोबाइल नंबरों के लिए एक समान होती है । इसलिए, चार कार्य दिवसों की मौजूदा समय–सीमा को बरकरार रखा गया है ।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 22nd July 2013

TELECOMMUNCATION MOBILE NUMBER PORTABILITY

(FIFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

(9 of 2013)

No. 116-4/2013-NSL-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 , read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Fifth Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force after ninety days from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), (hereinafter referred as the principal regulations),---------

(a) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ba) "authorised signatory" means the person authorised by a body corporate, firm or any organisation or body to make request in writing for the porting of corporate mobile phone number allotted to such body corporate , firm or organisation or body;

(b) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ca) "corporate mobile number" means the mobile phone number allotted in the name of a body corporate, firm or any organisation or body.".

3. In regulation 5 of the principal regulations, after clause (c), the following provisos shall be inserted, namely:-

" Provided that the Access Provider shall ---------

(a) identify and allot a distinct identification code to all the corporate mobile numbers available in its subscriber data base; and

(b) in case of a request for simultaneous porting of more than one corporate mobile numbers, allocate separate unique porting code for each corporate mobile number."

4. In regulation 6 of the principal regulations, after clause (e) of the first proviso and before the second proviso, the following clauses shall be inserted, namely:-

" (f) no corporate mobile number shall be ported unless the porting request in respect of such number is accompanied by an authorisation letter from the authorised signatory of the subscriber in the format annexed to these regulations ;

(g) the porting request, in case of corporate mobile number, does not seek simultaneous porting of more than fifty mobile numbers;

(h) the porting request, if made for more than one corporate mobile number, such numbers belong to the same Donor Operator."

5. In regulation 7 of the principal regulations,--------------

(a) in sub-regulation (3), -----------

(i) in clause (a), the word " and" appearing at the end shall be deleted;

(ii) in clause (b), at the end, the word "and" shall be inserted;

(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-

" (c) in case of corporate mobile number, an authorisation letter from the authorised signatory of the subscriber permitting such porting";

(b) for sub –regulation (4) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

" (4) The subscriber shall , with his request for porting , pay the porting charge, if any, for each mobile number sought to be ported".

6. In regulation 8 of the principal regulations,---------------

(a) in sub- regulation (6) , for the proviso , the following provisos shall be substituted, namely:-

" Provided that in case of corporate mobile number, the Recipient Operator shall also forward to the Mobile Number Portability Service provider, a scanned copy of the authorisation letter issued by the authorised signatory permitting the porting of the such mobile number:

Provided further that for the corporate mobile number, the time period for forwarding the mobile number etc. to the Mobile Number Portability Service provider shall be forty eight hours from the receipt of porting request:

Provided also that in calculating the period of twenty four hours specified in sub-regulation (6) and forty eight hours specified in second proviso, the intervening Sundays and Public Holidays declared under the Negotiable Instrument Act, 1881 (26 of 1881) shall be excluded:

Provided also that forwarding of one copy of authorisation letter permitting porting of more than one mobile number, in case of corporate mobile number, shall be sufficient for the purposes of sub- regulation (6).";

(b) for sub-regulation (7) , the following sub- regulation shall be substituted, namely:-

" (7) The Recipient Operator shall be liable to pay Per Port Transaction charge in respect of each mobile number forwarded by it to the mobile number portability service provider".

7. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (4) for the words " the details of such request to the Donor Operator for seeking his clearance for such porting ", the words " the details of such request , alongwith scanned copy of the authorisation letter in case of corporate mobile number, to the Donor Operator for porting" shall be substituted.

8. In regulation 12 of principal regulations----------------,

(a) after clause (h) and before the proviso, the following clauses shall be inserted, namely:-

" (i) in case of a corporate mobile number, the porting request is not accompanied by authorisation letter from the authorised signatory of the subscriber;

(j) the validity period of the Unique Porting Code has expired before its receipt by the Donor Operator.

(b) for the existing proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

" Provided that while rejecting a request for porting, on any ground specified in clause (a) to (j) , each corporate mobile number shall be treated separately :

Provided further that if the Donor Operator rejects a porting request on the grounds specified in clauses (h) and (i), he shall indicate the full details of the grounds on which the porting request has been rejected and retain a copy of such records for a minimum period of six months."

9. In regulation 16 of the principal regulations, after sub-regulation (7) , the following sub-regulation shall be inserted , namely:-

" (8) In case of rejection of porting request of a corporate mobile number on the grounds specified in clause (i) of regulation 12, the Mobile Number Portability Service provider shall retain the scanned copy of the authorisation letter for a minimum period of six months".

Format of Authorization Letter for porting of corporate Mobile Numbers

(see regulation 6 (f))

To be submitted on company letter head

To,

(The Recipient Operator)

____

____

Subject: **Port out of corporate mobile number.**

I……………………….., the authorized signatory of M/s. ………………………..(name of the body corporate etc.), hereby authorize the porting out of the following mobile phone numbers, allotted to M/s………………….(name of body corporate etc.), from M/s……………………..(name of the Donor Operator) to M/s……………………..(name of the Recipient Operator) in------------------(name of service area):-

S.No	Corporate Mobile Number	Unique Porting code

Undertaking

It is certified that I am the authorized signatory for the above mentioned mobile numbers and this information has been updated with the Donor Operator.

Name of Company:

Authorized Signatory Name:

Authorized Signatory Contact No:

Signature of Authorized Signatory:

Authorized Signatory email ID:

Stamp of the Company/corporate/organization:

Date:

Note: If this letter has more than one page, each page shall be signed by the Authorised signatory

----------------------------------End of Format---

RAJEEV AGRAWAL, Secy.

[ADVT.III/14/Exty./142/13]

Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, section 4 vide notification No. 116-4/2009-MN (Vol.II) dated the 23rd Sept. 2009 and amended vide:

(a) Notification no. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010)
(b) Notification no. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010)
(c) Notification no. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012)
(d) Notification no. 116-15/2012 dated 19th September, 2012 (19 of 2012)

Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations.

Explanatory Memorandum

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23rd September, 2009 laying down the basic business process framework for implementation of mobile number portability in the country. The Regulations 6,7,8,9,10,11,12 and 13 of these regulations came into effect in all telecom service areas in the country from 20th January 2011 through the Authority's direction dated 18th January, 2011.

2. Complaints were received from subscribers of Corporate mobile numbers that their porting requests have been rejected by the donor operators under the category "Contractual Obligation" for want of permission/authorization from the company/ corporate for porting such numbers.

3. In order to address issues relating to processing of porting requests, from the corporate mobile numbers, TRAI had placed draft Telecommunications Mobile Number Portability (Fifth Amendment) Regulations 2013 on 19th March 2013 on TRAI's website www.trai.gov.in seeking comments of stakeholders by 2nd April 2013. In the draft amendment, separate procedure for porting of corporate mobile number has been specified, as it requires authorization from the concerned authorized signatory of the corporate or organization. On the request of some stakeholders, the date for receiving comments was extended upto 09th April 2013.

4. The Authority examined the comments received from the stakeholders; the key issues and its analysis are given below:

Time period for implementation

5. Most of the stakeholders sought time for implementing the new process for porting of corporate mobile numbers, ranging from 30 days to 3 months. Considering the time required for setting up the processes such as identification of corporate mobile numbers, establishing UPC generation mechanism specified in these regulations for corporate mobile numbers, changes required in the existing gateways for corporate MNP process and its testing, it has been felt that sufficient time should be given to service providers and MNP service providers to carryout required changes in their system. Accordingly, the amendments are made effective after 90 days from the date of its publication in official gazette.

Need for Authorized signatory's letter

6. Presently, for porting of individual numbers, authentication of subscriber is carried out through Unique Porting Code mechanism. One of the stakeholders has suggested that corporate subscribers should seek No objection Certificate (NOC) from the Donor Operator. In this regard, it may be noted that the existing porting process is Recipient Operator led porting, as such the customer approaches to the Recipient Operator for porting of a mobile number. No Objection Certificate from the Donor Operator will go against the principles of existing framework, therefore, is not acceptable. However to ensure genuineness of porting, a copy of the letter from authorized signatory's will be sent by the Recipient Operator to Donor Operator alongwith other required details.

Limit on the number of mobile numbers in a corporate porting request

7. On the issue whether there should be a limit on number of corporate mobile numbers which can be included in one porting request, one of the suggestion has been to put a limit on the number of corporate mobile numbers in a porting request by the authorised signatory. The issue has been examined and limit of 50 mobile numbers with a corporate porting request has been prescribed so that probability of errors in feeding of large mobile numbers with UPCs by the Recipient Operator is reduced and at the same time sufficient numbers can be processed simultaneously with authorized signatory's request.

Need for separate UPC for corporate mobile numbers sought to be ported

8. On the issue of whether each corporate mobile number should have separate UPC or whether one UPC will be sufficient for all corporate mobile numbers, some of the stakeholders have suggested that there should be a single UPC for all requested corporate mobile numbers generated by the Authorised signatory, while some of them have suggested that each corporate mobile number should generate separate UPC for porting of their mobile number.

9. In the present arrangement the request for generation of UPC for a mobile number, sought to be ported, should be generated from the same mobile number. If mobile number of the Authorised signatory is permitted to generate UPC, the entire framework is required to be changed without serving any useful purpose. Moreover Donor operators need to maintain a separate list of such Authorised Signatories for authentication. In view of the complexities in such arrangement, it is felt necessary that UPCs be generated by the user of each corporate mobile number to avoid conflict / dispute regarding the porting of corporate mobile number to avoid that the number is ported out without the user knowledge. Provision is made wherein Authorised signatory will send such numbers under his signature and in a defined format.

Requirement of enclosing a scanned copy of authorisation letter

10. In the Regulations, provision has been made for sending scanned copy of the letter from the authorized signatory of the company/organization by the Recipient Operator to Donor Operator. Some of the Telecom Service Providers have informed that sending of scanned copies would need additional hardware infrastructure in their customer Relationship Management (CRM) system. They have also indicated that the existing connectivity with the MNPSPs needs to be enhanced to meet the bandwidth required for sending the scanned copy of the Authorization letter. This may also require additional investment. In this regard, it may be noted that corporate mobile numbers may not be large in numbers. Further only one scanned document shall be required for multiple corporate porting numbers up to 50 mobile numbers and corporate porting request can be processed in company owned customer centers where such facilities are normally available. In case such facilities are not available, corporate customers requesting for porting may be asked to provide the scanned copy of required Authorisation letter. The scanned document being in the format of PDF will not require large bandwidth between Telecom Service Providers and MNP Service Providers. As such, significant investment may not be needed to put in place the proposed mechanism.

11. Stakeholders also pointed out that this being a manual activity which involves scanning of documents and sending as an attachment, Recipient Operator may require more time for processing. Considering this, it has been decided to increase the time for Recipient Operator to forward the corporate porting request to Mobile Number Portability Service providers from existing 24 hours to 48 hours. In this regard, it is pertinent to mention that the Donor Operator is expected to clear the porting request on the fourth working day upon receipt of porting request from MNP service provider.

Rejection of Porting request by Donor Operator

12. Telecom Operators also suggested for providing a separate rejection category for rejection of corporate porting request due to authorization letter being invalid so that the exact reason for rejection is known to the concerned authorized signatory. Accordingly, separate category for rejection of corporate porting request has been incorporated.

13. In addition to above, one more category of reason of rejections has been added i.e "the validity period of the Unique Porting Code has expired before its receipt by the Donor Operator". The reason for the same is that on analyzing the reasons of rejections, it was noticed that many porting requests are being rejected due to "UPC mismatch". On further analysis, it was found that majority of rejections due to UPC mismatch were actually due to expiry of validity period of UPC.

In order to have clear distinction between actual "UPC mismatch" and "UPC expiry", a new reason of rejection has been added.

Additional time for Donor Operator to clear or reject a corporate porting request

14. Some of the stakeholders sought more validation time for the donor operator from existing 4 working days to 7 working days to clear or reject a porting request of a corporate mobile number. In this regard it is felt that the time of 4 working days specified in the existing regulation is sufficient to clear or reject corporate porting request by the Donor Operator, as manual checks are mostly relating to authorized signatory which is common to all ported corporate mobile numbers upto 50 mobile numbers. Therefore, existing timelines of four working days have been retained.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.